# न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला – अजमेर

प्रकरण संख्या 237/2019

सरकार जरिए पटवारी हल्का झाक प्रथम बनाम परसा पुत्र नाथू जाति मेरात निवासी रावला बाडिया

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

–:निर्णय:–

दिनाक 29.8.2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का झाक प्रथम द्वारा सम्वत 2076 ग्राम रावला बाडिया की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 309 कुल रकबा 120 बीघा किस्म भूमि चरागाह मे से रकबा 9 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री परसा पुत्र नाथू जाति मेरात निवासी रावला बाडिया द्वारा नाजायज ज्वार काश्त कर लिए जाने की भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक 29/8/2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष मे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते मे दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री परसा पुत्र नाथू जाति मेरात निवासी रावला बाडिया को सिवायचक भूमि ग्राम रावला बाडिया के खसरा नम्बर 309 कुल रकबा 120 किस्म भूमि चरागाह मे से रकबा 9 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि मे से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप मे वार्षिक लगान 0.30 को पचास गुणा 15/– रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्ज कर सरकार निलाम किया जावे आदेष की पालना भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्यण आज दिनांक 29/8/2019 को मेरे द्वारा लिखा [illegible] सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Singh Lakhawat
Date: 2022.12.22 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

(प्र[illegible]पाठी)
तहसीलदार मसूदा
जिला – अजमेर

तहसीलदार मसूदा (जिला–अजमेर)

वर्ष 2019-20 के रा.ले. 4 रजिस्टर के 93 पृष्ठ सं. पर रु. 15 की मांग कायम की गई।

त.रा.ले. ~~विजयनगर~~ मसूदा